

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] मई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 30, 1982/माघ 10, 1903

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 30, 1982/MAGHA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय : बम्बई-II

प्रसिद्धि सं० सी०ई० (प्रार) 3/81

बम्बई, 12 नवम्बर 1981

सा० का० वि० 34(प्र).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निगमावली, 1944 के नियम 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं विजय कुमार गुप्ता, समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बम्बई, एतद्वारा यहां दिये गये विवरण के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट श्रेणी से नीचे नहीं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को, उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में, उक्त विवरण के स्तम्भ 4 के तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट मर्यादाओं के तहत, कथित विवरण के स्तम्भ

1 और 2 के तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 अधीन समाहर्ता की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ, अर्थात्:—

विवरण

के० सं० शु० नियमावली, 1944	प्रत्यापेक्षित शक्ति का स्वरूप	अधिकारी जिसे प्रत्यायोजित किया गया	मर्यादा
1	2	3	4
			शुल्क अन्तर्गस्त करने वाले मागने —
18(2)	शुल्क माफी की शक्ति	(क) उपसमाहर्ता	रु० 2500/- से ज्यादा, पर
27(4) 147			रु० 5000/- से ज्यादा नहीं ।
तथा 196 (1)		(ख) सहायक समाहर्ता	रु० 1000/- से ज्यादा, पर रु० 2500/- से ज्यादा नहीं ।
		(ग) अधीक्षक	रु० 1000/- से ज्यादा नहीं ।
	विनिर्माता द्वारा		शुल्क अन्तर्गस्त करने वाले माग ।
49(1) बूसरा	खपत या विपणन के	(क) उपसमाहर्ता	रु० 2500/- से ज्यादा, पर
परन्तुक	लिये अनुपयुक्त घोषित		रु० 5000/- से ज्यादा नहीं
	ऐसे किसी साल पर	(ख) सहायक	रु० 1000/- से ज्यादा, पर
	शेष शुल्क को न मांगने	समाहर्ता	रु० 2500/- से ज्यादा, नहीं ।
	के लिये शर्तों को अधि-	(ग) अधीक्षक	रु० 1000/- से ज्यादा नहीं ।
	रोपित करने की शक्ति		

[फा० सं० V-सामान्य(8)21/81]

विजय कुमार गुप्ता, समाहर्ता,
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क। बम्बई-II

MINISTRY OF FINANCE

Office of the Collector of Central Excise : Bombay-II

Notification No. CE(R) 3/81 dated 12-11-1981.

Bombay, the 12th November, 1981

G.S.R. 34(E).—In exercise of the powers conferred on me under rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I, V.K. Gupta, Collector of Central Excise, Bombay, hereby authorise the Central Excise officers not below the rank specified in column 3 of the statement hereto annexed, to exercise within their respective jurisdiction, powers of the Collector under the Central Excise Rules, 1944, specified in the

corresponding entry in columns 1 and 2 of the said statement subject to the limitations specified in the corresponding entries in column 4 thereof, namely—

STATEMENT

C.E. Rules, 1944	Nature of power delegated	Officer to whom delegated	Limitation
1	2	3	4
19(2) 27(4) 147 & 196(1)	Power to remit duty	(a) Dy. Collector (b) Asstt. Collr. (c) Supdt.	Cases involving duty ex- ceeding Rs. 2500/- but not exceeding Rs. 5000/-. Exceeding Rs. 1000/- but not exceeding Rs. 2500/-. Not exceeding Rs. 1000/-
49(1) 2nd Proviso	Power to impose con- ditions for not demand- ing duty due on any goods claimed by the manufacturer as unfit for consumption or marketing.	(a) Dy. Collector (b) Asstt. Collr. (c) Supdt.	Cases involving duty exceeding Rs. 2500/- but not exceeding Rs. 5000/-. Exceeding Rs. 1000/- but not exceeding Rs. 2500/-. Not exceeding Rs. 1000/-

[F. No. V-Gen(8)21/31]
V.K. GUPTA, Collector of Central
Excise, Bombay-II.

